सेवा मे,

माननीय पुलिस अधीक्षक "वरीय" महोदय,

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

विषय : सोनारी थाना के पुलिस पदाधिकारी अमित चौधरी, जयन्ती तिर्की द्वारा वैवाहिक मामला मे सुलहनामा लिए थाना मे बुलाकर मानसिक प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार करते हुए जबरन विडियो बनाना, उच्चतम न्यायालय के निर्देश का सरासर उल्लंघन के संबंध मे ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक सुचित करना है कि मै रूपा देवी, पति हेम साहु, पता- मकान नं0- 1374 की बी0 ब्लॉक, नया लाईन सोनारी निवासी हूँ, मै लोगो के घर खाना बनाना एवं अन्य काम कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती हूँ। मै अपने सुपुत्र नारायण प्रसाद साहु का विवाह गाढ़ाबासा गोलमुरी निवासी महेन्द्र साहु के पुत्री पूजा कुमारी से दिनांक : 22. 1. 23 को हुई थी। शादी के पश्चात ससुराल सोनारी आकर हम सपरिवार को गाली - गलौज, मार-पीट करना बिना जानकारी दिये घर से बाहर रहना किसी प्रकार का घरेलु कार्य न करना, नौकरी करने के बहाने गाढ़ाबासा निवासी अमन कुमार साहू से रात्रि मे मोबाइल नं0- 9031511044 पर बाते करते रहना, मेरे पुत्र नारायण साहु के द्वारा विरोध करने पर नवम्बर 2024 को हमारे मकान से बिना जानकारी दिये गहना, कपड़ा लेकर मायके चली गयी और कभी महिला थाना, साकची थानो मे लिखित शिकायत करने पर पुलिस पदाधिकारी जांच कर उसे ही गलत ठहराने पर हम सपरिवार को गाली - गलौज एवं मुकदमा मे फंसा देने की धमकी देते रहती है। दिनांक - 12. 01. 2025 को थाना प्रभारी के द्वारा मेरे पुत्र

Ar...
13/01/25

रूपा देवी

- को सोनारी थाना बुलाने पर जब मैं अपने साथ पुत्र नारायण प्रसाद को लेकर गए तो वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी अमित चौधरी, जयन्ती तिर्की मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर गाली - गलौज कर औकात में रहो बोलकर धमकी देने लगे और बोलने लगे कि मेरे बुलाने पर न आकर थाना प्रभारी से बात करते हमें बाई पास कर और पैरवी दिखाता है, बोलकर जलील करते हुए जेल भेजने की धमकी देते हुए मेरे पुत्र से जबरन कागजात पर पत्नी को ले जाओगे, बोलकर लिखवाया एवं हमें बोला कि हम जो पूछेंगे, उसमें हां बोलना, बोलकर मेरा विडियो बनाया है और विडियो में पूछा कि थाना में आकर हम बोल रहे है कि बहू को अच्छा से रखोगे तब हमने विरोध किया तो डायलाग देते हुए बोले कि "कलयुग का जमाना है" हमारे साथ अभद्र व्यवहार अमित चौधरी लगभग एक सप्ताह से बराबर फोन पर किया जाता रहा है, जबरन एक सप्ताह पूर्व उनको फोन पर बोला गया कि आकर हमलोग थाना में मिलेंगे, उसी दिन मेरे घर पर पुलिस भेजकर मेरी बेटी - दमाद, मेरे पति को थाना में लाकर प्रताड़ना देते हुए दबाव देने लगे, मां और बेटा को बुलाओ नही तो हम साहू (पिता) को जेल भेजेंगे। इन दोनो पुलिस पदाधिकारी के प्रताड़ना से हमलोग आतंक के साये में जीने को मजबुर है, अन्यथा आत्म - हत्या कर लेंगे। किसी प्रकार का नोटिस आज तक नही दी गई है एवं मेरे द्वारा दिनांक - 9. 1. 2025 को न्यायालय जमशेदपुर में सूचना दी है।

Jasaw 13/01/25

 रूपादेवी

अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरे इस आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अपने स्तर से जांच करवा कर दोनो पुलिस पदाधिकारी - अमित चौधरी, जयन्ती तिर्की के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने की कृपा की जाए इसके लिए हम गरीब परिवार आपका सदैव आभारी रहूंगी।

दिनांक :

Noque
13/01/25

आपका विश्वासी
रूपा देवी
(रूपा देवी)
पति हेम साहू
पता- हो0 नं0- 1374 बी·ब्लोक नया लाइन सोनारी, पो0 व थाना सोनारी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम ।
मो0 नं0- 8210682955

प्रतिलिपि

1· माननीय पुलिस महा निदेशक झारखण्ड रांची ।

2· माननीय पुलिस उपमहा निरीक्षक कोल्हान प्रमण्डल, प0 सिंहभूम चाईबासा।

2· माननीय कृष्णा साहू अध्यक्ष साहू समाज सोनारी जमशेदपुर

4· माननीय थाना प्रभारी सोनारी थाना जमशेदपुर।

5· माननीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ।